उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-5

संख्या-37/2022/2124359/270/12-3099/88/2021/100(10)/2014टी०सी०-VII

लखनऊ:: दिनांक:: 09 जून, 2022

<u>शुद्धि-पत्र</u>

शासनादेश संख्या-34/2022/174/12-3099/88/2021/100(10)/2014टी०सी०-VII, दिनांक 28.04.2022 के प्रस्तर-6 की तालिका से ऊपर अंकित में धनराशि लाख रू० के स्थान पर धनराशि रू० तथा प्रस्तर-6 की तालिका के नीचे नोट की दूसरी पंक्ति में अंकित शासन से अनुदान प्राप्त कर के स्थान पर शासन से अनुमति प्राप्त कर एवं प्रस्तर-9(IV)(II)(द) में अंकित आई०एफ०एस०सी० कोड-IDIB000।530 के स्थान पर आई०एफ०एस०सी० कोड-IDIB000A530 पढ़ा जाए।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-34/2022/174/12-3099/88/2021/100(10)/2014टी०सी०-VII, दिनांक 28.04.2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश दिनांक 28.04.2022 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिवप्रमुख सचिव/, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिवप्रमुख सचिव/, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिवप्रमुख सचिव/, नवीन एवं नवीनीकरण एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- कृषि निदेशक उत्त प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 25.05.2022 के क्रम में प्रेषित।
8- निदेशक, नवीन एंव नवीनीकरण एंव ऊर्जा मंत्रालय0ई0आर0एन0एम)), लोधी रोड, नई दिल्ली।
9- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
12- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
13- अपर कृषि निदेशक (दलहन/तिलहन), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशकउप कृषि निदशक/, उत्तर प्रदेश।
15- सहायक निदेशक (टरय एवं कम्प्यूसमन्व), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in